रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 1988/माघ 21, 1909
No. 84] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 1988/MAGHA 21, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग)

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1988

अधिसूचना

का. आ. 152(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 5 के अधीन उसमें निहित शक्तियों का आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु की राज्य सरकारों

को, प्रत्यायोजित करती है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इस प्रकार की कार्यवाही करना लोक हित में आवश्यक है, केन्द्रीय सरकार सभी या किसी एक या अधिक राज्य सरकारों की बाबत शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन को प्रतिसंहृत कर सकेगी या वह स्वयं अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों का अवलंब ले सकेगी।

[संख्या 1(38)/86 – पी. एल.]

ति. ना. शेषन, सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

(Department of Environment, Forests & Wildlife)

New Delhi, the 10th February, 1988

NOTIFICATION

S.O. 152(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 the Central Government hereby delegates the powers vested in it under section 5 of the Act to the State Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Mizoram, Orissa, Rajasthan, Sikkim and Tamil Nadu subject to the condition that the Central Government may revoke such delegation of powers in respect of all or any one or more of the State Governments or may itself invoke the provisions of section 5 of the Act, if in the opinion of the Central Government such a course of action is necessary in public interest.

[No. 1(38)|86-PL]

T. N. SESHAN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988